न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी : नवदीप, आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या : 479/2015

सी.आई.एस. संख्या : 470/2015

सी.एन.आर. संख्या : RJCH130005982015

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 78/2015

पुलिस थाना : भानीपुरा

(10 वर्ष पुराना प्रकरण)

राजस्थान राज्य

-- अभियोगी

बनाम

1. सत्तार पुत्र हबीब खां, उम्र 31 साल ,
2. रूस्तम पुत्र हुसैन, उम्र 32 साल,
3. महबूब पुत्र आमीन खां, उम्र 31 साल,

निवासीगण– मन्दरपुरा, थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता, 1860

उपस्थितः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री श्रवणसिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

Date of Offence	29.06.15 से 06.07.15 के बीच किसी समय
Date of FIR	06.07.2015
Date of Final Report	10.08.2015
Date of Framing Charges	04.02.2016
Date of Commencement evidence	04.12.2019
Statement u/s 313 Cr.P.C.Recorded on	25.02.2026
Date of Complition of Arguements	30.03.2026

– निर्णय – **दिनांक: 30 मार्च, 2026**

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू के आदेश क्रमांक 1(जी)(1)स्था./2026/11 दिनांकित 13.01.2026 की अनुपालना में उक्त प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर से अंतरित होकर कालांतर में दिनांक

15.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भानीपुरा गांव में मेगा हाईवे के पूर्वी तरफ बीङ में बी. एस एन एल कम्पनी का मोबाईल टावर लगा हुआ है। इस परिसर के चार दीवार बनाकर बाहर मैन गेट लोहे का लगाया हुआ है। अन्दर दो कमरे बने हुए है। चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। एक कमरे में एक BATTERY SET नयां तथा दूसरे कमरे में दो BATTERY SET पुराने लगे हुए थे। दिनांक 29–6–2015 को इस टावर को चैक किया तो तीनो BATTERY SET लते हुए थे। आज मैंने CHECK किया तो तीनो BATTERY SET नही मिले जो दिनांक 29–6–15 से 6–7–15 के बीच रात्रि के किसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ताले तोङकर चोरी कर ले गए है। ये BATTERY SET दो पुराने अमर राजा कम्पनी के थे व एक SET नया HBL कम्पनी का था। एक A.C VEDIOCON COMPANY का भी चोरी कर ले गए, इत्यादि।

उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भानीपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2015 अन्तर्गत धारा 447, 379 भा.दं.सं. में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर में पेश किया। उक्त आरोप पत्र के आधार पर उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

3. अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता, 1860 का अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष व परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः–

क्र.सं.	साक्षी का नाम	साक्षी का क्रम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	हेमराज	पी.डब्ल्यू.–1	फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी
2.	संदीप कुमार	पी.डब्ल्यू.–2	बरामदगी
3.	संदीप कुमार	पी.डब्ल्यू– 3	बरामदगी
4.	शांतिप्रकाश	पी.डब्ल्यू–4	परिवादी
5.	अशोक	पी.डब्ल्यू–5	चार्जशीट बाबत
6.	भंवरलाल	पी.डब्ल्यू–6	मालखाना इंचार्ज

5. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज की संख्या
1.	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्शपी–1
2.	फर्द बरामदगी	प्रदर्शपी–2
3.	नक्शा मौका	प्रदर्शपी–3
4.	फर्द बरामदगी	प्रदर्शपी–4, 5 व 6
5.	बरामदगी नक्शा मौका	प्रदर्शपी–7
6.	फर्द बरामदगी	प्रदर्शपी–8 व 9
7.	नक्शा मौका बरामदगी स्थल	प्रदर्शपी–10
8.	चैक लिस्ट	प्रदर्शपी–11
9.	हालात मौका	प्रदर्शपी–12, 13 व 14
10.	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्शपी–15
11.	चाक एफआईआर	प्रदर्शपी–16
12.	घटनास्थल का नक्शा मौका	प्रदर्शपी–17
13.	आरोप पत्र	प्रदर्शपी–18
14.	हालात मौका	प्रदर्शपी–19
15.	फर्दात	प्रदर्शपी–20 व 21
16.	चैक लिस्ट	प्रदर्शपी–22 व 23
17.	फर्द इत्तिला	प्रदर्शपी–24 ता 26
18.	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्शपी–27
19.	मालखाना रजिस्टर में इंद्राज	प्रदर्शपी–27ए

6. अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब की परीक्षा अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गयी एवं अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किए कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई नहीं पेश करना चाहा।

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद की गई है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जाहिर किया कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में गवाहों के बयानों में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। पूर्व में अभियुक्तगण के चाचा के द्वारा मंगलसिंह पुलिस वाले को ट्रेप करवाने के कारण रंजिशवश हस्तगत मुकदमा दर्ज

करवाया गया है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर बरी फरमाया जाए।

9. प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है कि:–

(1) आया अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब द्वारा दिनांक 29.06.2015 से दिनांक 06.07.2015 के बीच किसी समय ग्राम भानीपुरा की बीड में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार कर बिना परिवादी शांतिप्रकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी की सम्मति के बीएसएनएल के टावर से तीन बैट्री सेल के सेट व ए.सी की बेईमानीपूर्वक चोरी कर अपराध कारित किया?

(ख) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

10. उक्त आरोपित अपराध के सम्बंध में अभियोजन पक्ष द्वारा **कुल 6 साक्षी** को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। गवाह **हेमराज पी.डब्ल्यू. 1** ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि दिनाक 02.08.2015 को मैं थाना भानीपुरा में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुलजिम महबूब को अनुसधान अधिकारी श्री अनोप सिंह एएसआई द्वारा प्रकरण में थाना परिसर में गिरफतार किया गया था। जिसको मेरे सामने गिरफतार कर फर्द गिरफतारी पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम महबूब प्रदर्श पी है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम सतार से प्रकरण के आईओ अनोप सिंह द्वारा मंदरपुरा गांव में 6 बैट्री बड़ी व 4 बैट्री छोटी मेरे सामने बरामद की थी व फर्द तैयार की थी। फर्द बरामदगी 10 बैट्रीयां मुलजिम सतार प्रदर्श पी 2 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका मौके पर तैयार किया जो प्रदर्श पी 3 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज गांव मदरपुरा में ही प्रकरण के आईओ अनोपसिह द्वारा मुलजिम रूस्तम व महबूब से 10 बैदीया बरामद की थी। फर्द बरामदगी 10 बैट्री मुलजिम रूस्तम व महबूत प्रदर्श पी 4 व 5 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका बरामदगी स्थल मुलजिम रूस्तम प्रदर्श पी 6 हैं जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है एवं नक्शा मौका बरादमगीस्थल मुलजिम महबूब प्रदर्श पी 7 है। जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम महबूब की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इतिला के अनुसार उसके घर से पीकअप बोलेरो नंबर आरजे 31 जीए 5065 बरामद की गई। फर्द बरामदगी बोलेरो गाडी नंबर आरजे 31 जीए 5065 प्रदर्श पी 8 है जिसपर ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि प्रथम बार पोस्टिंग भानीपुरा थाना में कितनी तारीख को हुई मुझे याद नही है। अजखुद कहा कि 2012 में हुई थी। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ था। कार्यवाही अनोपसिंह की लेखनी में की हुई है। प्रदर्श पी1 फर्द गिरफतारी किसकी लिखी हुई है मैं नहीं बता सकता। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 का

हिस्सा सी से डी में 12 के स्थान पर काटकर 10 किया गया हो व तारीख 02:08 15 के स्थान पर 03.08.15 किया गया हो तो मैं नहीं बता सकता, अनुसंधान अधिकारी बतायेंगा। नक्शा मौका 03.08 15 को बनाया गया था। जो सुबह 9–10 बजे मुलजिम सतार व अलग–अलग मुलजिमान के बनाया गया था। किस मुलजिमान के कितने बजे बनाया आज मुझे ध्यान नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 ता 8 सदीप द्वारा तैयार किया गया है। प्रदर्श पी 3 ता 8 का आसा पासा आज मैं नहीं बता सकता। नक्शा मौका किसका घर था की तस्दीक गांव के व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी या मौजिज व्यक्ति से कराई या नहीं अनुसंधान अधिकारी बता सकता है। मेरे द्वारा बताई गई फर्द बरामदगी बैट्रीयां टुटी–फुटी हालत में नहीं थी. सही हालात में थी, नई नहीं थी यूज में ली हुई थी। उक्त बैट्रीयों पर क्या सीरिज थी व कितनी एचपी की थी मुझे पता नहीं है। हमारे द्वारा जब्ती में बैट्रीयां दर्शित की गई है. सैल बरामद नहीं किये गये थे। मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त प्रकरण में बरामद दर्शित की हुई बैट्रीया मुस्ताक खा निवासी परलीका तहसील नोहर के नाम से खरीद की गई हो तो मैं नहीं बता सकता। मेरे समक्ष बरामद दर्शित बैट्रीयों की सीरिज वनजे 3137009–0728773,0728662, 28712 28753, 28684 28659. 28641, 28664, 28825, 28785 सीरिज वाली बैटीया बरामद की हो तो मुझे ध्यान नहीं है। अगर उक्त सीरिज वाली बैट्रीयों के खरीददार मुस्ताक खान द्वारा कही से खरीद की हुई हो तो मुझे ध्यान नहीं है। मैं बरामदशुदा बेटी अमरेजा कपनी की थी। बैट्री कितना वोल्ट की थी मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उक्त प्रकरण में दर्शित बरामद बैट्री सैल ना होकर 12 बोल्ट की बैट्रीयां थी। बैट्रीयां किस कलर की थी मैं नहीं बता सकता। बरामदशुदा दर्शित बैट्रीयां किस सन की व किस कपनी द्वारा तैयार की गई है मैं नहीं बता सकता। कुल 30 बैट्रीयां बरामद दर्शित की गई है। कुल दर्शित बैट्रीयों के आईडी नंबर क्या थे मैं नहीं बता सकता। मेरे उक्त पत्रावली में आईओ ने बयान नहीं लिये। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष एचबीएल कंपनी का कोई बैट्री सैट बरामद नहीं किया। बरामदगी में जो दर्शित बैट्री सेट एक ही कंपनी द्वारा निर्मित थे अलग–अलग कंपनी के नहीं थे। मैं यह नहीं बता सकता कि किस बरामदगीस्थल पर कितने मकान बने हुए है। यह कहना गलत है कि हमारे थाने में मंगलसिह थानेदार के कहने पर उक्त प्रकरण के मुलजिमान को झुठा फंसाया हो और झुठी बरामदगी दर्शाई हो। मैं यह नहीं बता सकता कि मंगल सिह थानेदार को मुलजिमान के घरवालों द्वारा एसीबी में देप कराया हो। मैं यह नहीं बता सकता अगर मुलजिमान उस समय उक्त दर्शित बरामदगी के समय अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में हो। मैं यह नहीं बता सकता कि मैं उक्त पत्रावली के अलावा अन्य पत्रावली में उक्त मुलजिमानों के खिलाफ गवाह हूं या नहीं। अजखुद कहा कि 4 पत्रावलीयों में गवाह हूं। मैं यह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी 2 में जी से एक हिस्से में अमरा, रागा का करेक्शन कर स्टीकर दर्शित किया हो। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में दर्शित बरामदगी की बैट्रीयों पर किसी भी कपनी का प्रिंटेड नाम नहीं था केवल कंपनी के नाम का स्टीकर चिपका हुआ था। मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त स्टीकर कहीं भी बाजार में उपलब्ध हो सकते है या नहीं। मैं यह भी नहीं बता सकता जो स्टीकर बैट्रीयों पर चिपके हुए थे वो बैट्रीयां उस स्टीकर पर लिखी कंपनी से निर्मित थे या अन्य

कपनी से निर्मित थे। मैं नहीं बता सकता कि टावर में कितने वाल्टेज की बैट्रीया लगती है। मैं यह भी नहीं बता सकती कि टावर में छोटी या बडी बैटी एक साथ लग सकती हो। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में दर्शित बरामद बैट्रीयां के समय बीएसएनएल कपनी का कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण ने दर्शित बरामद बैट्रीया की तस्दीक कित्ती बीएसएनएल कर्मचारी से नहीं कराई गई थी। मेरे द्वारा उक्त प्रकरण में बताये गये बरामदगी स्थल गांव के पूर्व साईड में स्थित है। पूर्व साइड में अन्य कोई घर या खेत हो तो मुझे याद नहीं है। हमारे द्वारा दर्शित बरामदगी स्थल के बीच कितनी–कितनी दूरी है में आज निश्चित नहीं बता सकता। लगभग 70–80 मीटर दुरी हो सकती है। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर साथ ना गया होउ और जाच अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारी होने के कारण आज झुठे बयान दे रहा होउ। यह कहना भी गलत है कि मंगलसिह मेरा परिचित थानेदार है और उनके कहेअनुसार उक्त मुलजिमानों के खिलाफ आज न्यायालय में झुठे बयान दे रहा होउ।

गवाह **पी.डब्ल्यू.2 संदीप कुमार** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 31.07.2015 को में पीएस भानीपुरा में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एफआईआर नंबर 78/2015 में गिरफतारशुदा विधि विरुद्ध संघर्षरत किशोर युनुस उर्फ उनस से मिली इतिला के आधार पर श्री अनोप सिंह एएसआई के साथ में व हेमराज एफसी युनुस के बताए अनुसार युनुस के साथ उसके घर पर गए जहां उसने अपने घर में बने झपरे में से छुपाकर रखी 6 बैट्रीयां एचबीएल कंपनी की पेश की थी व हमे बरामद कराई जिन्हें हमने जरिए फर्द प्रदर्श पी 9 के जप्त किया था। ये बैदीयां युनुस ने इस मुकदमा में चोरी करनी बताई थी। प्रदर्श पी 9 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है जो मैं साथ में काम करने के कारण पहचानता हूं। नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह सही है कि मेरे सामने अभियुक्तगण सतार, रूस्तम महबूब से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गई।

गवाह **पी.डब्ल्यू.3 संदीप कुमार** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 02.08.2015 को मैं पीएस भानीपुरा में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एफआईआर नंबर 78/2015 पीएस भानीपुरा में श्री अनोप सिह एएसआई ने मेरे सामने अभियुक्त महबूब को मेरे सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 1 के गिरफतार किया था जिस पर सी से डी अभियुक्त महबूब, ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिह के हस्ताक्षर है जो मैं साथ में काम किया होने से पहचानता हूं। जिसकी चैक लिस्ट प्रदर्श पी 11 अनोप सिंह जी ने तैयार की थी जिस पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। फिर दिनांक 03.08.2015 को अभियुक्त सतार से मिली इतिला के आधार पर श्री अनोप सिह एएसआई के साथ मैं व हेमराज सतार के साथ उसके बताए अनुसार उसके रिहायशी घर में गए तो सतार ने घर में बने एक कमरे में से 6 बडी व 4 छोटी बैट्री निकाल कर पेश

की। बडी बैट्रीयों एचबीएल व छोटी बैट्रीयों पर अमर राजा मार्का था जिन्हें जरिए फर्द प्रदर्श पी 2 के हमने जप्त किया जिस पर आई से जे अभियुक्त सतार, के से एल मेरे एम से एन अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिसका नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 3 मेरे सामने बनाया था जिस पर सी से डी सतार ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 12 है। जिस पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। फिर उसी रोज अभियुक्त रूस्तम से मिली इतिला के आधार पर श्री अनोप सिह एएसआई के साथ मैं व हेमराज रूस्तम के साथ उसके बताए अनुसार उसके रिहायशी घर में गए तो रूस्तम ने घर में बने एक कमरे में से 6 बडी व 4 छोटी बैट्री निकाल कर पेश की। बडी बैट्रीयों एचबीएल व छोटी बैट्रीयों पर अमर राजा मार्का था जिन्हे जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 के हमने जप्त किया जिस पर सी से डी अभियुक्त रूस्तम ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिसका नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 6 मेरे सामने बनया था जिस पर सी से डी रूस्तम ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 13 है। जिस पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। फिर उसी रोज अभियुक्त महबूब से मिली इतिला के आधार पर श्री अनोप सिह एएसआई के साथ मैं व हेमराज महबूब के साथ उसके बताए अनुसार उसके रिहायशी घर में गए तो महबूब ने घर में बने एक कमरे में से 6 बडी व 4 छोटी बैट्री निकाल कर पेश की। बडी बैट्रीयों एचबीएल व छोटी बैट्रीयों पर अमर राजा मार्का था जिन्हे जरिए फर्द प्रदर्श पी 5 के हमने जप्त किया जिस पर सी से डी अभियुक्त महबूब ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिसका नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 7 मेरे सामने बनया था जिस पर सी से डी महबूब ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिसका हालात मौका प्रदर्श पी 14 है। जिस पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। दिनांक 03.08.2015 को ही महबूब ने एक पीकअप आरजे 31 जीए 5065 जो उसके घर पर खडी थी को हमें बरामद कराया और बताया कि यह वहीं पीकअप है जिसका हमने घटना में काम में लिया था जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 के जरिए जप्त किया जिस पर सी से डी अभियुक्त महबूब, ई से एफ मेरे व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। नोटः–प्रकरण में अभियुक्तगण सतार रूस्तम व महबूब से जप्तशुदा बैद्रीयां श्रीमान न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है व प्रकरण में जप्तशुदा बोलेरो पीकअप आरजे 31 जीए 5065 भी सुपुर्द पर दी जा चुकी है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण हमारे थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में समस्त कार्यवाही अनोप सिंह के द्वारा की गई थी, मेरे द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। प्रदर्श पी 1 ता 14 तक दस्तावेज दिनांक 02.08.2015 व 03.08.2015 को तैयार किए गए थे। इसके अलावा अगर अन्य तारीखो को तैयार किए गए है तो मैं साथ में नहीं था। यह मुकदमा किसने दर्ज करवाया था मुझे पता नहीं है। प्रदर्श पी 2, 3, 6, 13, 7 व 8 में कुल कितने मकान बने हुए थे मुझे याद नहीं है। कौनसे मकान से किस मुलजिम की बरामदगी हुई आज मुझे याद नहीं है। बरामदगी स्थल से संबंधित मालिकाना हक के कोई दस्तावेज मेरे सामने जांच

अधिकारी ने नहीं लिए थे। यह कहना भी सही है कि उक्त बरामदगीस्थल के मालिकाना हक से संबंधित उस गांव के सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी या अन्य सरकारी कर्मचारी से बरामदगीस्थल मुलजिमान का होने बाबत तस्दीक नहीं करवाई थी। यह कहना सही है कि बरामदगीस्थल से संबंधित कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह कहना सही है कि मैं पूर्व से मुलजिमान के घर नहीं जानता था। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल मकान कच्चे थे या पक्के मुझे आज याद नहीं है। इस बारे में मैं नहीं बता सकता कि बैट्रीयों के मुल मालिक ने अपने बिल जांच अधिकारी को सुपुर्द किए हो और जांच अधिकारी ने पत्रावली पर शामिल ना किए हो। प्रदर्श पी 1 में आई से जे क्या लिखा हुआ है में नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 पर सी से डी हिस्से में कटिंग 12 से 10 की हुई दर्शित होती है व ई से एफ हिस्से में दिनाक 02.08.2015 में 02 की जगह 03 किया हुआ प्रतीत हो रहा है एवं जी से एच हिस्से में जी को जे बनाया हुआ प्रतीत हो रहा है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 8 में आई से जे भाग में दिनांक में कटिंग कर 07.06 के स्थान पर 06.07 अंकित करना दर्शित हो रहा है। यह कहना सही है कि उक्त घटना की चोरी दिन में हुई या रात में मुझे ध्यान में नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण की चोरी किस दिनांक को, कितने बजे व किस स्थान पर हुई में नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली के किस मुलजिम को किस स्थान पर कितने बजे गिरफतार किया आज याद नहीं है अजखुद कहा कि महबूब को दिनांक 02:08.2015 को वक्त 8 पीएम पर थाना परिसर में गिरफतार किया था। उक्त प्रकरणके मुलजिमान अगर पूर्व में दूसरे प्रकरणो में न्यायिक अभिरक्षा में हो और वहां से गिरफतार किया हो तो मैं नहीं बता सकता। उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा बरामदगी में जो बैट्रीयां बताई गई है वह बैट्रीयां ही थी, सेल नहीं थे। यह कहना सही है कि मेरे सामने कोई सैल बरामद नहीं किए थे। अगर उक्त प्रकरण में जप्त बैट्रीयां मुश्ताक खां निवासी परलिका तहसील नोहर के नाम से खरीद की गई हो तो मैं नहीं बता सकता।यह कहना सही है कि अभियुक्तगण की गिरफतारी उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा से की गई थी। मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त घटना की चोरी दिन में हुई थी या रात में हुई थी। मैं यह भी नहीं बता सकता कि उक्त घटना के वक्त मुलजिमान न्यायिक अभिरक्षा में थे या नहीं थे। यह कहना सही है कि बरामद सेलों पर सिरिज नम्बर नहीं थे। यह कहना सही है कि सेलों पर किसी भी कम्पनी का लोगों नहीं लगा हुआ था, चिट जरूरी चिपकाई हुई थी। यह कहना सही है कि उक्त घटना स्थल के मालिकान हक से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना भी सही है कि घटना स्थल टावर स्थापित था या नहीं से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 17, 20, 21, 01 तैयार करने से सम्बन्धित उस रोज का रोजनामचा पत्रावली पर नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त घटना की चोरी कोई बीएसएनएल कम्पनी टेकनिशियन ने अन्य टावर पर सेल लगा दिये हो। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में प्रदर्श पी 15 में बेट्री सेट कितनी बेट्रीयों का एक बेट्री सेट था इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 15 में वर्णित ऐसी मेरे सामने बरामद नहीं हुई। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 02, 12, 03, 04, 06, 13, 05, 14, 07, 08 तैयार करने एवं मौके पर जाने व वापस आने का रोजनामचा रपट शामिल

पत्रावली नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त प्रदर्श थाने में बैठकर तैयार किये गये हो और मुलजिमान को झुठा फंसाया गया हो। यह कहना सही है कि उक्त प्रदर्श में फर्द जप्ती अनुसार मालखाना जमा करवाने का रोजनामचा भी शामिल पत्रावली नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिमान के काका गुलाम हुसैन द्वारा जांच अधिकारी अनोप सिंह के मित्र मंगल सिंह को एसीडी में ट्रेप करवाया हो। मैं यह नहीं बता सकता कि अनोप सिंह व मंगल सिंह मित्र थे या नहीं थे। मैं यह भी नहीं बता सकता कि भानीपुरा थाना में मंगल सिंह के कहने से मुकदमें दर्ज हुये थे या नहीं। यह कहना गलत है कि में अनुसंधान अधिकारी का अधिनस्थ कर्मचारी होने के कारण उनके कहे अनुसार उक्त पत्रावली में थाने में हस्ताक्षर किये हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.4 शांतिप्रकाश** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 29.06.2015 को मैं सरदारशहर में जेटीओ बीएसएनएल के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 29.06.2015 को हम भानीपुरा में हमारे टावर को संभालने गए तो हमारे टावर का सामान दुरूस्त अवस्था में था। उसके बाद हम दिनांक 06.07.2015 को भानीपुरा में हमारा टावर बंद होने पर उसे संभालने गए तो दो पुरानी बैट्रीयां व एक नई बैट्री सेट वहां पर नहीं थी। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे चुराकर ले गया। मौके पर हमने देखा तो वहां पर तीन आदमीयों के पैरों के निशान व एक गाडी के टायरों के निशान मिले थे। दो पुरानी बैटी अमर राजा कंपनी की थी व नई बैट्री एचबीएल कंपनी की थी। इसके अलावा डेड टन का विडियोकॉन कपंनी का एसी लगा था वह भी वे लोग चोरी करके ले गए थे जिसकी उसी रोज मैंने भानीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी जो प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 17 बनाया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे बयान लिए थे। पुलिस ने मेरी चोरीशुदा बैटीयां बरामद की थी जिसे मैंने न्यायालय से सुपुर्दगी पर लिया था।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि मैं दिनांक 29.06.2015 को कार्य पर उपस्थित होउ इस संबंध में मैंने कोई दस्तावेज ना तो पुलिस को दिया है और ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है और ना ही आज साथ लेकर आया हूं। यह कहना सही है कि बीएसएनएल कर्मचारी सरकारी गाडी या संविदा गाडी से कहीं जाता है तो लॉक बूक भरी जाती है। यह कहना सही है कि लॉग बूक की कोई प्रति या लॉग बूक पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। यह कहना सही है कि हमारी कंपनी का भानीपुरा में कोई टावर लगा हुआ हो इस संबंध में हमने कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उक्त पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे यह साबित हो कि हमे ग्राम पंचायत द्वारा या कोई अन्य सरकारी विभाग द्वारा हमें कोई जगह अलॉट की गई हो और हमने वहां पर टावर लगा रखा हो। हमारे दुरसंचार विभाग के कंट्रोलर अधिकारी द्वारा एक टावर लगाने का एक नंबर जारी किया जाता है वह भी हमने उक्त पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि हमारे बीएसएनएल के टावरों पर कोई भी सुरक्षा

गार्ड नहीं रखे हुए थे केवल वहां पर सुरक्षा गार्ड के लिए रूम बने हुए थे। यह कहना सही है कि 29.06.2015 को हम टावर को चैक करने गए हो इससे संबंधित कोई लॉग बूक पेश नहीं की है। दो सेल अमर राजा कंपनी के 600 एएच पावर के थे और दूसरा सेल भी 600 एएच पावर का था। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा टावर पर तीन सेट सैल लगाए हो इससे संबंधित कोई भी बिल ना तो पुलिस को दिया है और ना ही आज साथ लेकर आया हूं और ना कभी न्यायालय में पेश किया है। हमारे टावर पर तकनीकी कमियों को सही करने के लिए कोई टेक्निशियन या इंजीनियर नहीं रखा हुआ था। जब भी कोई खराबी होती थी तब हम स्वयं ही जाकर सही करते थे। टावर पर कितने एचपी का कनेक्शन लगा हुआ था मैं नहीं बता सकता। टावर पर थी फेज बिजली कनेक्शन लगा हुआ था जिसका कोई बिल मैंने पेश नहीं किया है। टावर पर बिजली पावर कितने घंटे आता था मैं नहीं बता सकता। श्री फेज लाईट अगर 6 घंटे आती हो तो मैं नहीं बता सकता। वहां पर जनरेटर सेट लगा हुआ था लेकिन जनरेटर नहीं चलाते थे। हमारा सिस्टम लाईट व सैल के बेकअप पर ही निर्भर था, लाईट व बैकअप खत्म होने पर स्वतः बंद हो जाता था। यह कहना सही है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को चोरी करते हुए नहीं देखा था। यह कहना सहीं है कि मेरे सामने किसी भी प्रकार की सैलो की कोई बरामदगी किसी व्यक्ति से नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि प्रत्येक सैल पर उसके सीरियल नंबर आते है परंतु में उक्त प्रकरण में चोरी हुए तीनों सैल सेटों में से किसी का भी सीरियल नंबर नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता कि चोरी कब हुई थी। मैंने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2015 को दिया था। प्रदर्श पी 15 ता 17 पर हस्ताक्षर थाने में कराए थे या मौके पर मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि हमारे ही विभाग का कोई कर्मचारी जो सैल को उपयोग लेना जानता हो, चोरी करके ले गया हो तो मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि सेलों में डीसी करंट होता है जो अगर कोई व्यक्ति प्लस व माइनस को खोलते वक्त टच कर देता है तो हरसंभव मरने के आसार रहते है। यह कहना सही है कि उक्त सेलों को खोलते वक्त पूर्ण सावधानी रखी जाती है और एक्सपर्ट व्यक्ति ही खोल सकता है। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र में लिंखवाया गया अमर राजा कपनी का सेल सेट बरामद नहीं हुआ था और ना ही कोइ एसी बरामद हुई थी। यह कहना सही है कि पुलिस ने उक्त प्रकरण में जब भी कोई बरामदगी दशाई है तब हमें नहीं दिखाया गया और ना ही हमें मुलजिम व माल दिखाया गया। मेरे द्वारा जो न्यायालय से बेटीयां सुपुर्दगी पर ली गई थी उसकी सीरिज वनजे 3137009–0728773, 0728662, 28712, 28753, 28684, 28659 नंबर वाली हो तो में नहीं बता सकता। अगर इस सीरिज की बैटीयां मुश्ताक खां निवासी परलीका तहसील नोहर के नाम से खरीद की गई हो तो मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि सेल जो बरामद किए थे वह एचबीएल कंपनी के थे। एक सेल 2 वोल्ट का था। हम जो सुपुर्दगी पर बैट्रीयां लेकर गए थे वो 2 बोल्ट की ही थी जो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की नहीं थी। यह कहना सही है कि हमारे चोरी हुए सेल किस सन् में निर्मित किया हुआ है मैं नहीं बता सकता। इन सेलों को हमारे टावर पर किस सन् में लगाया था मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा जो सुपुर्दगी पर बैटीया लेकर गया था वो

आज न्यायालय में लेकर नहीं आया हूं और लेकर भी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे सरदारशहर का चार्ज छोडे हुए करीब 2 वर्ष हो चुके है अगर वह बैटीयां स्केप में चली गई हो तो कभी नहीं मिल सकती क्योंकि स्केप में बेटीयां कंपनी के पास जाने के बाद बैट्रीयों को तोडकर उसमें जो धातु होती है उसके प्रयोग में लेकर नई बैट्रीयां निर्मित कर देते है। उक्त प्रकरण की बैट्रीया शायद स्केप में चली गई है इसलिए न्यायालय में लाना संभव नहीं है और ना ही अब सीरियल नंबर मिलाया जाना संभव है। यह कहना सही है कि हमारे टावर पर चोरी दिन में हुई थी या रात में में नहीं बता सकता। चोरी किसने की यह भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने आज तक मुलजिमान को देखा नहीं है। यह कहना सही है कि में प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 15 उच्चाधिकारीयों के कहने पर दर्ज कराई थी। उसी दिन मैं थाने गया था उसके बाद में कभी थाने नहीं गया था। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान नहीं हुए थे। यह कहना सही है कि मेरे सामने किसी भी अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि मेरे सामने पुलिस ने कोई टूटे हुए ताले जब्त नहीं किए थे। यह कहना गलत है किमेरे द्वारा झुठी लिखित सुचना पेश की गई हो और हमारा वहां पर कोई टावर नहीं लगा हुआ हो। यह कहना गलत है कि हमारे कोई सैल चोरी ना हुए हो। यह कहना गलत है कि मैं बीएसएनएल में अधिनस्थ कर्मचारी ना होउ। यह कहना गलत है कि मेरे पुलिस ने खाली दस्तावेजों पर साईन कराए हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 17 पर ए से बी हस्ताक्षर मेरे थाने में कराए थे। मेरे बयान पुलिस ने कंप्यूटर से टाईप करके लिए थे, हाथ से पैन से लिखकर नहीं लिए थे।

गवाह **पी.डब्ल्यू.5 अशोक** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 10.08.2015 को मैं पीएस भानीपुरा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था उस रोज एफआईआर नंबर 78/2015 की पत्रावली बाद अनुसंधान श्री अनोप सिंह सउनि ने मेरे समक्ष पेश की। श्री अनोप सिंह सउनि ने मुलजिम सतार, रूस्तम, महबूब व विधि विरूद्ध संघर्षरत किशोर युनुस उर्फ उनस के विरूद्ध धारा 457, 380 का अपराध बनना प्रमाणित माना था व इन्हीं धाराओं में उपरोक्तानुसार ही मैंने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श पी 18 न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। अनोप सिंह मेरे अधिनस्थ काम करते थे जिस कारण मैं उनके हस्ताक्षर अच्छे से जानता हूं। प्रकरण की एफआईआर अनोप सिंह ने ही दर्ज की थी व उन्होंने ही इसका अनुसंधान किया था जिसका अंकन लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 पर सी से डी होकर ई से एफ अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। कायमी एफआईआर प्रदर्श पी 16 पर भी सी से डी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 17 पर सी से डी, हालात मौका प्रदर्श पी 19 पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। अनोप सिंह ने अभियुक्तगण सतार, रूस्तम व महबूब को जरिए फर्दात प्रदर्श पी 20, 21 व 1 के गिरफतार किया था जिन पर कमशः ए से बी, ए से बी व जी से एच अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। जिनकी चैक लिस्ट प्रदर्श पी 22. 11 व 23 है जिन पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द इतिला धारा 27 मुलजिम सतार, रूस्तम, महबूब क्रमशः प्रदर्श पी 24, 25 व 26 है जिन पर ए से बी अनोप सिंह के हस्ताक्षर है। अनोप सिंह जी ने दौराने अनुसंधान अन्य कार्यवाहीयों के साथ गवाह शांतिप्रकाश के बयान भी लेखबद्ध किए थे।

मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी इस मुकदमा की कार्यवाही का अंकन है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि मैंने प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया है। यह कहना सही है कि अनोप सिंह एएसआई ने अगर नक्शा मौका, हालात मौका व समस्त फर्दात थाने में तैयार की हो तो मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मैंने उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की है और ना ही मुलजिमान की गिरफतारी की है। यह कहना सही है कि मैं आज मालखाना रजिस्टर साथ लेकर नहीं आया हूं। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में दर्शित बरामदगी बाजार में आराम से मौल मिल सकती है। यह कहना सही है कि बरामदगी कहां से हुई थी मैं नहीं बता सकता। मैं यही भी नहीं बता सकता कि प्रकरण में दर्शितबरामदगी की बैट्रीयां अन्य व्यक्ति के बिलशुदा हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 में सी से डी भाग में अंक 10 में कटिंग की हुई है व ई से एफ व जी से एच भाग में भी कटिंग की हुई है। मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त प्रकरण की फर्दात किसी अन्य व्यक्ति से तैयार की गई हो और अनोप सिंह के मात्र इस पर हस्ताक्षर हो। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मालिकाना हक से संबंधित पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है एवं उक्त प्रकरण में नक्शा मौका में टावर स्थापित करने का कोई एग्रीमेंट नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने मंगल सिंह एएसआई को मुलजिमान द्वारा नोहर थाने में टेप कराए जाने के कारण झुठे मुकदमा दर्ज कर फंसाया हो।

गवाह **पी.डब्ल्यू.6 भंवरलाल** ने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 03.08.2015 को मैं पुलिस थाना भानीपुरा में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज अनोपसिंह एएसआई ने प्रकरण संख्या 78/2015 में जप्तशुदा वजह सबूत 6 नग बैटरी एचबीएल कंपनी, 6 बैटरी बडी व 4 बैटरी छोटी जिनके पैंदे पर एचबीएल लिखा था, 6 बैटरी बडी व चार बैटरी छोटी जिनके सफेद पैदा पर एचबीएल लिखा था, 6 बैटरी बडी व चार बैटरी छोटी जिन पर राजा कंपनी का स्टीकर लगा था, एक बोलेरा पिकअप आरजे 31 जीए 5065 लाकर मुझे सुपुर्द की, जिन्हें मैंने जमा कर मालखाना रजिस्टर के कमांक संख्या 205 पर इन्द्राज किया, जो कि प्रदर्श पी 27 ए है, जिस पर ए से बी जप्ती बाबत विवरण है, सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 27 है।

अभियुक्तगण की ओर से जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 27 ए मूल मालखाना रजिस्टर व प्रदर्श पी 27 प्रमाणित प्रति में अंतर है, अजखुद कहा कि मूल में सुपुर्दगी की प्रविष्टि अतिरिक्त रूप से अंकित है। यह सही है कि प्रदर्श पी 27 व 27 ए पर मालखाना जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि वजह सबुत जमा करवाने की दिनांक अंकित नहीं हो। यह सही है कि मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 27 की प्रविष्टि संख्या 205 में ई से एफ, जी से एच व आई से जे हिस्से में व्हाईनटर लगा कर पैन से दोबारा लिखा गया है। यह सही है कि वजह सबूत जमा करवाने का समय मालखाना रजिस्टर में

अंकित नहीं है। यह सही है कि पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 27 में वजह सबुत जमा करवाने वाबत रोजनामचा नहीं है। मालखाना में जो वजह सबुत जमा करवाया गया था, वो बैटरिया ही थी, सैल नहीं थे। मुझे इस बात का ध्यान नही है कि परिवादी में अपने बयानों में सैल चोरी होने बताये हो। बैटरिया चार किनारो वाली थी, गोल/लम्बी नहीं थी। यह सही है कि उक्त बैटरिया मालखाना में आज नहीं है, अजखुद कहा कि सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है। यह सही है कि बरामदशुदा सामान की कोई फोटो मालखाना में जमा नहीं हुयी थी। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर में इस बात का अंकन नहीं है कि उक्त सामान कहाँ से बरामद किया गया था, अजखुद कहाँ कि फर्द के मुताबिक अंकित किया गया है। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 27 व 27 ए पर सी से डी हिस्से में केवल मेरे हस्ताक्षर है, आईओ के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि रजिस्टर के प्रारूप अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं हो। यह कहना सही है कि रजिस्टर की प्रारूप संख्या 1 में चुरायी हुयी सम्पति का कॉलम अंकित है, परन्तु उस कॉलम में चुरायी गयी सम्पति का विवरण नहीं है, अजखुद कहाँ कि कम संख्या अंकित है। कॉलम संख्या 1 से 5 में प्रारूप के अनुसार सम्पति के वर्णित तथ्य अंकित नहीं है। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर की कॉलम संख्या 6 में सम्पति का साईज, सीरीज नम्बर व स्वरूप अंकित नहीं है। यह सही है कि कॉलम संख्या 7 में सम्पति का मुल्य अंकित नहीं है। यह सही है कि रजिस्टर संख्या के कॉलम 8 के अनुसार कहाँ, कब व किससे और किन परिस्थितयों में पाया गया अंकित नहीं है। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि उक्त प्रकरण में दर्शित मालखाना रजिस्टर में जमा सैल या बैटरिया परिवादी या कोई अन्य व्यक्ति अपने निजी खर्चे से लाया हो और अनुसंधान अधिकारी के साथ मिलकर बरामदगी दर्शायी हो या करवायी हो। मैं यह भी नहीं बता सकता हूँ कि उक्त बरामदगी जिस दिन दर्शित की हो, उस दिन मुल्जिमान न्यायिक अभिरक्षा में हो। यह कहना गलत है कि मैनें अनुसंधान अधिकारी के साथ मिलकर मालखाना रजिस्टर में झूठी प्रविष्टि अंकित की हो। यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में उस दिन मैं मालखाना रजिस्टर का इंचार्ज हूँ, इससे संबंधित रोजनामचा रपट या आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है और ना ही मैं आज साथ लेकर आया हूँ। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान के काका द्वारा एक पुलिस अधिकारी मंगलसिंह को भष्टाचार निरोधक दल से रिश्वत के मामले में टेप करवाने के कारण और अनुसंधान अधिकारी मंगल सिंह का मित्र होने के कारण इस प्रकरण में मुल्जिमानों को जानबुझकर फर्जी तरीके से फंसाया गया हो।

11. उक्त अवधार्य बिंदुओं के संबंध में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु को साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया, वह लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 है, जिसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादी शांतिप्रकाश पी.डब्ल्यू 04 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा वह स्पष्ट रूप से कथन करता है कि "उसी रोज मैंने भानीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी, जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताखर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।" इस प्रकार अभियोजन

पक्ष इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि परिवादी शांतिप्रकाश के द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया था।

जहां तक उक्त अवधार्य बिन्दु में निहित अपराध अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. का प्रश्न है, तो इसके लिये अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 में वर्णित घटनाक्रम के अनुसार भानीपुरा गांव में मेगा हाईवे के पूर्वी तरफ बीड़ में लगे बीएसएनएल कंपनी के मोबाईल टावर से कुल तीन बैट्रियां चोरी हुयी, जिसमें से दो सेट अमर राजा व एक सेट एचबीएल बैट्री का होना लिखित रिपोर्ट में परिवादी के द्वारा बताया गया है, इसके लिये सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि चोरी किस विशेष दिनांक, दिवस अथवा किस विशेष समय को हुयी, इसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए, तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज करवायी गयी थी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि चक्क्षूदर्शी साक्षी के अभाव में अभियोजन पक्ष को संपूर्ण घटनाक्रम अभियुक्तगण के विरुद्ध कड़ीबद्ध रूप से संदेह से परे साबित करना था, जिसका एकमात्र नतीजा यह निकलता हो कि अपराध केवल व केवल अभियुक्तगण के द्वारा किया गया हो, अन्य किसी के द्वारा नहीं। हस्तगत प्रकरण में लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए, तो लिखित रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के द्वारा घटना दिनांक 29.06.2015 से दिनांक 06.07.2015 के बीच होना बताया गया है। परिवादी ने स्वयं को बीएसएनएल कंपनी का कर्मचारी बताता है, परंतु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी से जिरह में पूछे जाने पर उसके द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किये गये हैं कि "तत्समय मैं बीएसएनएल कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत होउ, इसके संबंध में उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।" इस स्थिति में परिवादी के द्वारा जिस विधिक अधिकारित के तहत हस्तगत प्रकरण संस्थित किया गया, वे तथ्य ही संदेहास्पद हो जाते हैं। परिवादी स्वयं अपनी जिरह में इन तथ्यों को स्वीकार करता है कि "यह कहना सही है कि मैंने प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 15 उच्चाधिकारियों के कहने पर दर्ज करवायी थी।" परिवादी अपनी जिरह में इन तथ्यों को भी स्वीकार करता है कि बीएसएनएल के टावर पर वॉचमेन के कमरे बने हुये हैं, परंतु वहां पर कोई गार्ड आदि नियुक्त नहीं थे।" परिवादी के द्वारा घटना की जानकारी के आधार यह बताये गये हैं कि "दिनांक 29.06.2015 को चैक करने गया था, तब वहां पर बैट्रियां व ए.सी. आदि लगे हुये थे, परंतु वह जब दिनांक 06.07.2015 को पुनः चैक करने गया, तो वहां बैट्रियां व ए.सी. की चोरी हो चुकी थी, इस स्थिति में परिवादी जांच हेतु दिनांक 29.06.2015 व दिनांक 06.07.2015 को बीएसएनएल के टावर पर गया था, इस बाबत परिवादी से स्पष्ट जिरह की गयी है, जिसमें वह यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि बीएसएनएल कर्मचारी सरकारी गाड़ी या संविदा गाड़ी से कहीं जाता है, तो लॉक बुक भरी जाती है। यह कहना सही है कि दिनांक 29.06.2015 को हम टावर को चैक करने गये हो, इससे संबंधित कोई लॉक बुक पेश नहीं की है।" इस स्थिति में परिवादी के द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में चोरी की समय व दिनांक तथा एक्जेक्ट पता नहीं होने के जो आधार बताये गये है, वे संदेहास्पद हो जाते हैं। चूंकि जहां पूर्व के

विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज करवायी गयी थी, उस स्थिति में अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण से जोड़ने के बाबत जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, वे फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 02, 04 व 05 थे तथा एकमात्र आधार जिसके तहत अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण से जोड़ा जा सकता था, वह यह था कि अभियुक्तगण से बरामदशुदा संपत्ति वहीं संपत्ति है, जो लिखित रिपोर्ट के अनुसार चोरी की गयी थी। लिखित रिपोर्ट के अनुसार सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि विवादित स्थल पर कोई बीएसएनएल का टावर स्थित था, इसके संबंध में परिवादी से जिरह की गयी है, वह यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि हमारी कंपनी का भानीपुरा में कोई टावर लगा हुआ हो, इस संबंध में हमने कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उक्त पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है, जिससे यह साबित हो कि हमें ग्राम पंचायत द्वारा या कोई अन्य सरकारी विभाग द्वारा हमें कोई जगह अलॉट की गयी हो और हमने वहां पर टावर लगा रखा हो। हमारे दुरसंचार विभाग के कंट्रोलर अधिकारी द्वारा एक टावर लगाने का एक नंबर जारी किया जाता है, वह भी हमने उक्त पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।" इस प्रकार जहां स्वयं परिवादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि बीएसएनएल का टावर लगने के बाद उस टावर को दूरसंचार विभाग के कंट्रोलर अधिकारी द्वारा एक विशेष नंबर अलॉट किया जाता है, उक्त नंबर के बाबत भी कोई दस्तावेज परिवादी के द्वारा साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। इस स्थिति में अन्य सबसे महत्वपूर्ण गवाह प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी हो जाता है। अनुसंधान अधिकारी अनोप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण वह प्रकरण में परीक्षित नहीं हुआ है। उक्त के संबंध में अशोक पी.डब्ल्यू 05 के रूप में परीक्षित हुये है तथा वह जिरह में यह कथन करते हैं कि "यह कहना सही है कि मैंने प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया है। यह कहना सही है कि मैंने उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की है और ना ही मुलजिमान की गिरफ्तारी की है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में दर्शित बरामदगी बाजार में आराम से मौल मिल सकता है।" इसके यदि लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए, तो लिखित रिपोर्ट के अनुसार कुल तीन बैट्रियां चोरी होना बताया गया है व उसके साथ एक ए.सी. वीडियोकोन चोरी होना बताया गया था। पत्रावली पर संलग्न फर्द जप्ती प्रदर्श पी 02, 04 व 05 का यदि अवलोकन किया जाए, तो प्रत्येक फर्द जप्ती में कुल 10 बैट्रियां, जिनमें से 6 बड़ी व 4 छोटी होना बताया गया है, इस प्रकार कुल 30 बैट्रियों को जब्त होना बताया गया है। उक्त तीस बैट्रियों में से कौनसी बैट्रियां हस्तगत प्रकरण टावर पर संस्थित थी, इसके बाबत परिवादी के द्वारा कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। चूंकि इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यह थी कि दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी जब्तशुदा सामान की कोई शिनाख्तगी की कार्यवाही परिवादी के समक्ष करवाता, परंतु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न नहीं है तथा इसके बाबत स्वयं परिवादी जिरह के दौरान यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को चोरी करते हुये नहीं देखा। यह कहना सही है कि मेरे सामने किसी भी प्रकार के सेलों की बरामदगी किसी व्यक्ति से नहीं हुयी थी। यह कहना सही है कि प्रत्येक सेल पर उसके सीरीज नंबर आते

है, परंतु उक्त प्रकरण में चोरी हुये तीनों सेल के सेटों में से किसी भी प्रकार का सीरियल नंबर मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता कि चोरी कब हुयी थी। मैंने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2015 को दिया था।" इस स्थिति में यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि जो तथाकथित रूप से फर्द जप्ती प्रदर्श पी 02, 04 व 05 के द्वारा अभियुक्तगण से जप्तशुदा बैट्रियां बतायी गयी है, वे वहीं बैट्रियां हो, जो दिनांक 29.06.2015 से दिनांक 06.07.2015 के बीच किसी समय भानीपुरा के पास तथाकथित रूप से स्थित बीएसएनएल के टावर से चोरी की गयी हो।

इसके अतिरिक्त परिवादी के द्वारा बताये गये घटनाक्रम पर संदेह इन आधारों पर भी होता है कि परिवादी स्वयं जिरह में इन तथ्यों को स्वीकार करता है कि जो भी सेल आदि चोरी किये गये थे, उनको निकालने के लिये एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही चाहिए था। अभियुक्तगण किसी भी प्रकार से एक्सपर्ट हो व उनके द्वारा बिना टैक्निकल ज्ञान से चोरी की जा सकती हो, इस बाबत भी कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। स्वयं परिवादी जिरह में यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कि हमारे ही विभाग का कोई कर्मचारी जो सैल का उपयोग लेना जानता हो, चोरी करके ले गया हो, तो मैं नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि सेलों में डीसी करंट होता हो, जो अगर कोई व्यक्ति प्लस व माइनस को खोलते वक्त टच कर देता है, तो हरसंभव मरने के आसार रहते हैं। यह कहना सही है कि उक्त सेलों को खोलते वक्त पूर्ण सावधानी रखी जाती है और एक्सपर्ट व्यक्ति ही खोल सकता है। मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र में लिंखवाया गया अमर राजा कपनी का सेल सेट बरामद नहीं हुआ था और ना ही कोई ए.सी. बरामद हुयी थी। यह कहना सही है कि पुलिस ने उक्त प्रकरण में जब भी कोई बरामदगी दशाई है, तब हमें नहीं दिखाया गया और ना ही हमें मुलजिम व माल दिखाया गया।" इस स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने के लिये प्रथम कड़ी ही अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त द्वित्तीय कड़ी पर विचार किया जाए, तो वह यह थी कि चोरी शुदा सामान नियमानुसार मालखाना में जमा करवाया गया हो, इसके संबंध में मालखाना इंचार्ज भंवरलाल न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू 06 के रूप में परीक्षित हुआ है, परंतु वह अपनी मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के कोई कथन नहीं करता है कि प्रकरण में जप्तशुदा सामान शील्डशुदा अवस्था में उसके समक्ष पेश किया गया हो, ना ही कोई शील आदि का इंद्राज प्रदर्श पी 27ए में किया गया है। जहां एक ओर भंवरलाल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि अनोप सिंह एएसआई द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा सामान उसके समक्ष पेश किया गया था, वहीं वह जिरह में यह स्वीकार करता है कि "यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 27 व प्रदर्श पी 27ए पर मालखाना जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।" प्रदर्श पी 27ए व मूल प्रदर्श पी 27 में अंतर होने के तथ्यों को भी वह स्वीकार करता है। आगे वह यह भी कथन करता है कि "यह सही है कि वजह सबूत जमा करवाने का समय मालखाना रजिस्टर में अंकित नहीं है। यह सही है कि पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 27 में वजह सबूत जमा करवाने बाबत रोजनामचा नहीं है। मालखाना में जो वजह सबूत जमा करवाया गया था, वो बैटरियां ही थी, सैंल नहीं थे।" आगे उक्त

गवाह यह कथन करता है कि कॉलम सं. 01 से 05 में प्रारूप के अनुसार संपत्ति के वर्णित तथ्य अंकत नहीं है। यह सही है कि मालखाना रजिस्टर की कॉलम संख्या 06 में संपत्ति का साईज, सीरीज नंबर व स्वरूप अंकित नहीं है। यह सही है कि कॉलम संख्या 07 में संपत्ति का मूल्य अंकित नहीं है। यह सही है कि रजिस्टर संख्या 08 के अनुसार कहां, कब व किससे और किन परिस्थितियों में पाया गया अंकित नहीं है।" पूर्व के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी अनोप सिंह की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, इस स्थिति में यह तथ्य भी संदेहास्पद हो जाते हैं कि जप्तशुदा सामान नियमानुसार अनोप सिंह के द्वारा मालखाना में जमा करवाया गया हो, क्योंकि मालखाना की रजिस्टर की प्रति पर जमाकर्ता के किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर मय तिथि अंकित नहीं है। उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह तथ्य ही साबित करने में असफल रहे हैं कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा सामान वहीं हो, जो दिनांक 29.06.2015 से दिनांक 06.07.2015 के बीच किसी समय भानीपुरा की बीड में लगे बीएसएनएल के टावर से चोरी की किये गये हो। इस स्थिति में धारा 380 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त यदि धारा 457 भा.दं.सं. के संबंध में आगे विचार किया जाए, तो धारा 457 भा.दं.सं. के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना था कि विवादित स्थल जहां से तथाकथित रूप बीएसएनएल के टावर से सेलों के सेट व ए.सी. चोरी करना बताया गया है वे उक्त टावर वहां पर स्थापित हो, जहां पर अभियुक्तगण के द्वारा गृहअतिचार कर सेलों के सेट व ए.सी. चोरी किये गये हो। इसके संबंध में परिवादी शांति प्रकाश पी.डब्ल्यू 04 के बयानों का अवलोकन किया जाए, तो वह जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन करता है कि "यह कहना सही है कह हमारी कंपनी का भानीपुरा में कोई टावर लगा हुआ हो, इस संबंध में हमने कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उक्त पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, जिससे यह साबित हो कि हमें ग्राम पंचायत द्वारा या कोई अन्य सरकारी विभाग द्वारा कोई जगह अलॉट की गयी हो और हमने वहां पर टावर लगा रखा हो। हमारे दूरसंचार विभाग के कंट्रोलर अधिकारी द्वारा एक टावर लगाने का एक नंबर जारी किया जाता है, वह भी हमने उक्त पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है।" इस स्थिति में परिवादी के बयानों से यह प्रकट नहीं होता है कि वरवक्त घटना टावर घटनास्थल पर था, जहां से अभियुक्तगण के द्वारा बैट्रियां व ए.सी. चोरी की गयी हो। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाह अनुसंधान अधिकारी था, जिसकी पूर्व के विवेचन के अनुसार मृत्यु हो जाने के कारण वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। इस स्थिति में धारा 457 भा.दं.सं. के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि उक्त टावर भानीपुरा गांव में स्थित हो तथा उसके संबंध में कंपनी के द्वारा नियमानुसार एग्रीमेंट आदि किये गये हो, तो इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू 04 शांति प्रकाश न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है तथा उसके द्वारा ऐसे कोई कथन व ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वरवक्त घटना टावर ग्राम भानीपुरा की बीड़ में स्थित हो, जहां से अभियुक्तगण के द्वारा सेलों के सेट व ए.सी. की की चोरी कारित की

गयी हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन के पश्चात अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अवर्धाय बिंदु में निहित अपराध श्रृंखलाबद्ध, विश्वसनीय, ठोस एवं युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है जिससे यह साबित होता हो कि "अभियुक्तगण सत्तार, रूस्तम व महबूब द्वारा दिनांक 29.06.2015 से दिनांक 06.07.2015 के बीच किसी समय ग्राम भानीपुरा की बीड में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार कर बिना परिवादी शांतिप्रकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी की सम्मति के बीएसएनएल के टावर से तीन बैट्री सेल के सेट व ए.सी की बेईमानीपूर्वक चोरी कर अपराध कारित किया हो।" ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

12. फलतः अभियुक्त सं. 01 सत्तार पुत्र हबीब खां, उम्र 31 साल, अभियुक्त सं. 2. रूस्तम पुत्र हुसैन, उम्र 32 साल व अभियुक्त सं. 3. महबूब पुत्र आमीन खां, उम्र 31 साल निवासीगण– मन्दरपुरा, थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अंतर्गत, प्रत्येक अभियुक्त माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, छः माह की अवधि के लिए राशि 10–10 हजार रूपये के व्यक्तिगत बंध–पत्र व इसी राशि की पृथक–पृथक प्रतिभू इस न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश होने पर अभियुक्तगण द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किए जाए।

14. प्रकरण में जब्तशुदा सामान यदि कोई शेष हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारण किया जाए।

(नवदीप) आरजेएस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर, जिला–चूरू।

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(नवदीप) आरजेएस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सरदारशहर, जिला–चूरू।